

उत्तराखण्ड की सवर्ण जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देना

2386. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तरांचल/उत्तराखण्ड की उच्च सवर्ण रावत जातियोम के सभी व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार निराधार थे?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामवालिया): (क) से (ग) सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव

2387. श्री राधवजी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों के निर्माण के लिये 1996-97 के दौरान कोई प्रस्ताव भेजे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन के लिये केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी देने के बाद उन पर अनुदान देने की सहमति दे दी है और राशि को कब तक उपलब्ध कराया जायेगा; और

(घ) यदि हाम, तो इन प्रस्तावों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री बलन्वत सिंह रामवालिया): (क) और (ख) जी, हां।

निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:-

योजना	होस्टलों की संख्या	मांगी गई केन्द्रीय सहायता
		लाख रुपए
लड़के	40	120
लड़कियाँ	38	336.27

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव कुछ पहलुओं में विशेष तौर पर राज्य को पहले निर्मुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के बारे में कमी पाई गई थी। इसलिए वर्ष 1996-97 के दौरान कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ) राज्य सरकार को पहले स्वीकृत कोई योजनाओं के बारे में प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। केवल उसके बाद ही नई योजनाओं पर विचार किया जाएगा।

Development work' for orphan children and handicapped persons by voluntary institutions

2388. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the State-wise details of voluntary organisations in the country, engaged in the development work of poor, orphan children, grieved women and handicapped persons for last three years;

(b) whether these voluntary institutions are extended grants by Central Government in addition to the grants extended from the State Governments; and

(c) if so, the details of the amount of grant extended by Central Government during the last three years?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BAI.WANT SINGH RAMOOWALIA): (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

आरक्षण नीति के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग (क्रिमी लेयर)

2389. श्री शिव चरण सिंह: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्योम ने आरक्षण नीति के संबंध में अन्य पिछड़ वर्गों में " सम्पन्न वर्ग" (क्रिमी लेयर) के बारे में अपने-अपने विचार और सुझाव दे दिये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;